का तेल निकालने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड दोनों ने प्रस्ताव किया है जो सरकार के विचाराधीन है और शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।

दिल्ली के अस्पतालों में चिकित्सा सुविधायें

*187. **मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, सफदरजंग अस्पताल, और डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल जैसे बड़े अस्पतालों में एक्सरे व अन्य परीक्षण करवाने के लिए रोगियों को महीनों इंतजार करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इन सुविधाओं का और अधिक विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना एककों को इन सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु भी क्या कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) रोगियों की संख्या में हो रही अत्यधिक वृद्धि के कारण उन्हें केवल विशेषज्ञ जांचों के लिये प्रतीक्षा करनी पड़ती है । इस वृद्धि के बावजूद, रोगियों को नेमी एक्स-रे और अन्य जांचों के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है । ऑटो एनालइजर और अन्य आधुनिक उपकरणों को खरीदने के लिए प्रावधान किए गए हैं । इन प्रयोजनों के लिए अधिक वित्तीय आवंटन किए गए हैं । प्रदान की जा रही सेवाओं में वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त स्टाफ मंजूर किया गया है।

(ग) एक्स-रे और प्रयोगशाला जांच की सुविधाएं चिकित्सा केन्द्र, संसद सौध स्वास्थ्य जांच केन्द्र, केन्द्रीय सचिवालय और कस्तूरबा नगर पॉलि-क्लिनिक में उपलब्ध हैं ।

188. *[Transferwed to the 12th December 1991.]*

स्वतंत्रता सेनानियों का पेंशन रद्द किया जाना

*189. **श्री रणजीत सिंह :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 अक्तूबर, 1991 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में "50 फ्रीडम फाइटर्स पेंशन पेपर्स रिजेक्टिड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन के मामलों को रद्द किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या चूक करने वाले किन्हीं अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) नई सरकार द्वारा कार्यभार संभालने के बाद 34 मामलों को पुनरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया । इनमें से 19 मामलों में पहले किए गए निर्णय को बरकरार रखा गया । 3 मामलों में पेंशन स्वीकृत करने के बारे में पहले लिए गए निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सका क्योंकि पात्रता के मानदण्ड पूरे नहीं होते थे। अन्य मामले अभी विचाराधीन हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

Installation of Expensive pollution Control Equipment

*190 SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are insisting on the installation of expensive pollution control equipment for power projects even in cases where it is not required; and